

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय .

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम शामला की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 54, 104 में पेश नाम निधाल कंवर दर्ज है जसके वास्तविक नाम लालिदा कंवर है जिसे सही करावे की कृपा करावे।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक प्रार्थी
लालिदा

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,
निवेदन है कि ग्राम शामला के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 54, 104 में प्रार्थी का नाम निधाल कंवर पुत्री अमर सिंह राजपुत्र दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम निधाल कंवर उर्फ लालिदा कंवर है जो संशोधित किया जाना उचित है।
पुत्री अमर सिंह

अतः रिपोर्ट शीमाप की सेवा में पेश है।
भू.अ.नि. [Signature] पटवारी [Signature]

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी सुप्रिया व भू.अ.नि. वसुदेव एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम शामला की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 54, 104 में प्रार्थी का नाम निधाल कंवर पुत्री अमर सिंह के बजाय निधाल कंवर उर्फ लालिदा कंवर पुत्री अमर सिंह किये जाने हेतु अभिशप्ता की जाती है।

49/25
93/25

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम शामला जमाबन्दी संवत् 2074-2077 खाता संख्या 54, 104 में दर्ज प्रार्थी का नाम निधाल कंवर पुत्री अमर सिंह के स्थान पर निधाल कंवर उर्फ लालिदा कंवर पुत्री अमर सिंह संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।